न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या:– **2017/10** दायर दिनांक **11.09.2017**

आवेदकगण		अनावेदकगण
1. हेमाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी पालोट तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामचन्द्र पुत्र हरदीन 2. जगदीश पुत्र मानाराम 3. ओमप्रकाश पुत्र मानारा 4. हीराराम पुत्र मानाराम 5. मेहराम पुत्र मानाराम 6. शैतानराम पुत्र मानाराम 7. जयराम पुत्र मानाराम 8. नेमाराम पुत्र मानाराम 9. सुवाराम पुत्र मानाराम 10. पतासी पत्नी मानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण पालोट तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थित:–

1. श्री हीरसिंह बलारा अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री चेनाराम थौरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **13.12.2017**

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम पालोट में स्थित खेत खसरा नम्बर 537 रकबा 20 बीघाके खातेदार है। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 02 ता 10 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं0 01 की तरफ से जवाब पेश हुआ।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या-2017/10
दायर दिनांक 11.09.2017 निर्णय दिनांक 13.12.2017
हेमाराम बनाम रामचन्द्र, वगैरा।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक 935 दिनांक 24. 10.2017 में प्रकरण में मौके का नजरी नक्शा अनुसार नया रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पालोट के खसरा सं0 537 में आने जाने हेतु रास्ता मार्क ए बी सी डी दर्शाया गया है। बिन्दु ए से बी तक दुरी 270 फीट तथा बिन्दु बी से सी तक 189 फीट है तथा बिन्दु डी से ए तक दुरी 1265 फीट है जो कि खसरा सं0 545 कि किस्म गै0मु0 पायतन है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा खसरा सं0 537 के पश्चिम में स्थित खसरा सं0 538 जो कटाणी रास्ता पर लगता है जो नक्शा अनुसार बिन्दु ई एफ व जी दर्शाया गया है। बिन्दु ई से एफ की दुरी 540 फीट है तथा बिन्दु एफ से जी की दुरी 150 फीट है।

प्रकरण में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मार्क ए बी सी रास्ता घोषित किया जावें क्योंकि पक्षकारान इसी रास्ते से वर्तमान आते जाते है। मार्क ए बी सी रास्ते की दुरी 459 फीट है तथा मार्क ई एफ जी की दुरी 690 फीट है। अतः मार्क ए बी सी नजदीकी रास्ता है। अतः मार्क ए बी सी रास्ता घोषित किया जावें। प्रार्थी का पायतन की भूमि में से रास्ते की आवश्यकता नहीं है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने नजरी नक्शा में रास्ता मार्क ए बी सी डी दर्शाया है वह गलत रूप से दर्शाया गया है। प्रार्थी ने जा उक्त रास्ता चाहा है वह पालोट से डीडवाना आने वाली डामर सडक के दक्षिण में चिपते ही गै0मु0 पायतन है उसमें से होते हुए आगे अप्रार्थी के खेत खसरा सं0 617/537 में से होकर चाहा है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये उक्त रास्ता की लम्बाई पालोट से डीडवाना सडक तक लगभग 1750 फुट है तथा बीच में पायतन भूमि अवस्थित है। धारा 251 आर टी एक्ट के अनुसार किसी भी पायतन, गौचर, नाडी आदि की भूमि में से नियमानुसार रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी को तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार मार्क ई एफ जी से रास्ता घोषित किया जावें।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। शरहद पालोट के खसरा नम्बर 537 रकबा 20 बीघा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थीगण मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने-जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने-जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थीगण को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक मार्क ए बी सी भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है। जो कि खसरा सं0 537 के नजदीकी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–2017/10
दायर दिनांक 11.09.2017 निर्णय दिनांक 13.12.2017
हेमाराम बनाम रामचन्द्र, वगैरा।

रास्ता लगता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 537 वाकै सरहद पालोट में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.10.2017 के अनुसार, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी से दर्शित लाईन को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **13.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 28/12/17

नोट :- उक्त निर्णय में रास्ते की चौड़ाई 15 फुट घोषित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–10–2017/रीडर/2017/ 1160 दिनांक 19/12/17

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

आवेदकगण		अनावेदकगण
1. हेमाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी पालोट तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामचन्द्र पुत्र हरदीन 2. जगदीश पुत्र मानाराम 3. ओमप्रकाश पुत्र मानारा 4. हीराराम पुत्र मानाराम 5. मेहराम पुत्र मानाराम 6. शैतानराम पुत्र मानाराम 7. जयराम पुत्र मानाराम 8. नेमाराम पुत्र मानाराम 9. सुवाराम पुत्र मानाराम 10. पतासी पत्नी मानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण पालोट तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner